झारखण्ड सरकार

विधि विभाग

सत्यमेव जयते

झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2015

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

झारखंड राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2015

विषय सूची

क्रम सं0	विषय सूची
1.	प्रस्तावना

अध्याय–I

क्रम सं0	विषय सूची
1.	प्रारंभिक

अध्याय – II

क्रम सं0	विषय सूची
1.	धारा–2 की उप धारा 2(ak) का प्रतिस्थान
2.	धारा–34 की उप धारा 34(f) के पश्चात उपधारा 34(ff) का समावेशन
3.	धारा–36 की उप धारा 36(1) के पश्चात उपधारा 36(1)(A) का समावेशन
4.	धारा–57 की उप धारा 57(1) के पश्चात नये प्रावधान का समावेशन
5.	धारा–57 की उप धारा 57(2)(a) का प्रतिस्थापन
6.	धारा–57 की उप धारा 57(2)(b) का प्रतिस्थापन

झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक–2015

झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 (अंगीकृत) में संशोधन हेतु विधेयक–

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो,

अध्यायः–1

प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभः–**

(i) यह संशोधन विधेयक "झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2015" कहा जा सकेगा।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

(iii) यह तुरत प्रभावी होगा।

अध्यायः–2

झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 (अंगीकृत) को निम्नवत् संशोधित किया जाता हैः–

(i) धारा–2 की उपधारा–2(ak) का प्रतिस्थापनः–

धारा–2 की वर्त्तमान उपधारा–2(ak) के प्रावधान "झारखण्ड लोक सेवा आयोग का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा गठित झारखण्ड लोक सेवा आयोग जिसे कि भारत के संविधान के अनुच्छेद–320 में वर्णित कार्यों को सम्पन्न करने एवं विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों (अंगीभूत एवं सम्बद्ध) के शिक्षकों एवं पदाधिकारियों के संबंध में अनुशंसा आदि करने की शक्तियॉ प्रदान की गयी है।"

निम्नलिखित प्रावधान से प्रतिस्थापित होः–

"2 (ak) 'झारखण्ड लोक सेवा आयोग', का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा गठित झारखण्ड लोक सेवा आयोग, जिसे कि भारत के संविधान के अनुच्छेद–321 में वर्णित कार्यों को सम्पन्न करने एवं विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों (अंगीभूत एवं सम्बद्ध) के शिक्षकों एवं पदाधिकारियों के संबंध में अनुशंसा आदि करने की शक्तियॉ प्रदान की गयी है।"

2. **धारा–34 की उपधारा–34(f) के पश्चात् एक नयी उपधारा–34(ff) का निम्न रूप से समावेशनः–**

"34(ff) झारखण्ड के विश्वविद्यालयों एवं उसके अंगीभूत एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों के शिक्षकों एवं पदाधिकारियों की नियुक्ति के नियम, प्रोन्नति नीति एवं उनकी सेवा शर्त्तों का निर्धारण।"

3. **धारा–36 की उपधारा–36(1) के पश्चात् एक नयी उपधारा–36(1)(A) का निम्न रूप से समावेशनः–**

"36(1)(A) झारखण्ड राज्य के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों (अंगीभूत एवं सम्बद्ध) के शिक्षकों एवं पदाधिकारियों की नियुक्ति/प्रोन्नति एवं सेवा शर्त्तों से संबंधित परिनियमों के गठन के क्रम में इस कार्य के पूरा होने के पूर्व झारखण्ड लोक सेवा आयोग का भी मंतव्य प्राप्त किया जायेगा।"

4. **धारा–57 की उपधारा–57(1)के पश्चात् निम्नलिखित नये प्रावधान का समावेशनः–**

"सम्बद्ध महाविद्यालय के शासी निकाय द्वारा आयोग की अनुशंसा/अनुमोदन प्राप्ति हेतु प्रस्ताव/अधियाचना विश्वविद्यालय को भेजा जायेगा और विश्वविद्यालय अपने मंतव्य/अनुशंसा के साथ संबंधित प्रस्ताव/अधियाचना आयोग को भेजेगा।"

5. **धारा–57 की उपधारा–57(2)(a) का प्रतिस्थापनः–**
धारा–57 के वर्त्तमान उपधारा–57(2)(a) का प्रावधान,

"57(2)(a) झारखण्ड लोक सेवा आयोग विश्वविद्यालयों/अंगीभूत महाविद्यालयों/ सम्बद्ध महाविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु प्रत्येक वर्ष एक योग्यता परीक्षा आयोजित करेगा जिसे झारखण्ड पात्रता परीक्षा कहा जायेगा। इस कार्य हेतु यह सिर्फ वैसे अभ्यर्थियों से विषयवार आवेदन आमंत्रित करेगा, जो इस हेतु निर्मित परिनियम द्वारा निर्धारित अर्हता को पूरा करते हैं।

फिर भी ऐसी परीक्षा यू0जी0सी0 के द्वारा निर्गत रेगुलेशन या दिशा निर्देश के आलोक में आयोजित की जायेगी।"

निम्नलिखित प्रावधान से प्रतिस्थापित हो:–

"57(2)(a) झारखण्ड लोक सेवा आयोग विश्वविद्यालयों/अंगीभूत महाविद्यालयों/सम्बद्ध महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति हेतु प्रत्येक वर्ष एक योग्यता परीक्षा आयोजित कर सकता है, जिसे झारखण्ड पात्रता परीक्षा कहा जायेगा। इस कार्य हेतु यह सिर्फ वैसे अभ्यर्थियों से विषयवार आवेदन आमंत्रित कर सकता है, जो इस हेतु निर्मित परिनियम द्वारा निर्धारित अर्हता को पूरा करते हैं।

फिर भी ऐसी परीक्षा यू0जी0सी0 के द्वारा निर्गत रेगुलेशन या दिशा निर्देश के आलोक में आयोजित की जायेगी।"

6. **धारा–57 की उपधारा–57(2)(b) का प्रतिस्थापनः–**

धारा–57 की वर्त्तमान उपधारा–57(2)(b) के प्रावधान,

" 57(2)(b) विश्वविद्यालय एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में व्याख्याता की नियुक्ति हेतु आयोग वैसे अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करेगा, जो बिहार पात्रता परीक्षा उर्त्तीण हो एवं/या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/काउंसिल फॉर जुनियर साइंटिफिक एण्ड इन्डस्ट्रियल रिसर्च द्वारा व्याख्याता /जूनियर रिसर्च फैलो हेतु आयोजित पात्रता परीक्षा पास हो और/या 31 दिसम्बर, 1993 तक पी0एच0डी0 उपाधि प्राप्त कर लिया हो और या 31.12.92 तक एम0फिल0 की उपाधि प्राप्त कर लिया हो एवं साक्षात्कार के आधार पर विश्वविद्यालय /अंगीभूत महाविद्यालयों द्वारा अधिसूचित रिक्तियों के विरूद्ध विषयवार मेधा सूची तैयार करेगा एवं ऐसी सूची अनुमोदन के पश्चात् एक वर्ष तक मान्य होगा। विषयवार योग्यता सूची में (अभ्यर्थियों) की संख्या रिक्ति के दोगुनी होगी परन्तु आयोग एक रिक्ति के विरूद्ध मेधा के आधार पर सिर्फ एक नाम विश्वविद्यालय को नियुक्ति हेतु भेजेगा।

वशर्त्ते की आयोग विश्वविद्यालय द्वारा राज्य में नियुक्ति हेतु लागू आरक्षण नियम के अनुरूप तैयार एवं भेजे गए आरक्षण रोस्टर के अनुरूप ही विश्वविद्यालय को मेधा सूची से नामों की अनुशंसा भेजेगा।"

निम्नलिखित प्रावधान से प्रतिस्थापित हो:–

" 57(2)(b) विश्वविद्यालय एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में सहायक प्रध्यापक की नियुक्ति हेतु, आयोग वैसे अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करेगा, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संचालित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा उर्त्तीण हो एवं साक्षात्कार के आधार पर विश्वविद्यालय/अंगीभूत महाविद्यालयों द्वारा अधिसूचित रिक्तियों के विरूद्ध विषयवार मेधा

सूची तैयार करेगा एवं ऐसी सूची अनुमोदन के पश्चात् एक वर्ष तक मान्य होगा। विषयवार योग्यता सूची में (अभ्यर्थियों) की संख्या रिक्ति के दोगुनी होगी, परन्तु आयोग एक रिक्ति के विरूद्ध मेधा के आधार पर सिर्फ एक नाम विश्वविद्यालय को नियुक्ति हेतु भेजेगा।

वशर्ते की आयोग विश्वविद्यालय द्वारा राज्य में नियुक्ति हेतु लागू आरक्षण रोस्टर के अनुरूप तैयार एवं भेजे गए आरक्षण रोस्टर के अनुरूप ही विश्वविद्यालय को मेधा सूची से नामों की अनुशंसा भेजेगा।"

उद्देश्य एवं हेतु

झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 (अंगीकृत) की धारा–2 की उपधारा–2(ak) के प्रावधान के अनुसार राज्य के विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों/शिक्षकों तथा सम्बद्ध महाविद्यालयों के शिक्षकों की नियुक्ति/प्रोन्नति की अनुशंसा करने का कार्य झारखण्ड लोक सेवा आयोग को संविधान के अनुच्छेद 320 के तहत् सौंपा गया है, परन्तु संविधान के इस अनुच्छेद के तहत् सिर्फ पब्लिक सर्विस के पदाधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति/प्रोन्नति संबंधी अनुशंसा की जा सकती है। चूंकि विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के पदाधिकारी/शिक्षक लोक सेवक की कोटि में नहीं आते हैं, अतः इनकी नियुक्ति/प्रोन्नति की अनुशंसा संविधान के अनुच्छेद–320 के प्रावधानों के तहत् नहीं किया जा सकता है, बल्कि झारखण्ड लोक सेवा आयोग को संविधान के अनुच्छेद–321 के तहत् इस कार्य का दायित्व दिया जा सकता है। अतः झारखण्ड लोक सेवा आयोग को विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों के पदाधिकारियों/शिक्षकों की नियुक्ति/प्रोन्नति की अनुशंसा का कार्य संविधान के अनुच्छेद–321 के तहत् सौंपे जाने की आवश्यकता है। तदनुसार झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा–2 की उपधारा–*2(ak)* में संशोधन किया जाना आवश्यक है।

अतः झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों के पदाधिकारियों/शिक्षकों की नियुक्ति/प्रोन्नति की अनुशंसा करने का मार्ग प्रशस्त करने हेतु झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 (अंगीकृत) की 34, 36 एवं 57 धाराओं को भी संशोधन की आवश्यकता है।

उक्त उद्देश्य से उक्त संशोधन विधेयक को अधिनियमित कराना ही इस विधेयक का अभीष्ट है।

(डॉ0 नीरा यादव)
भार साधक सदस्य।

झा०रा०मु०राँची (विधि) 30(A)--170--17-12-2015 ।